सख्या-07/2017/2388/33-2-2017-01जी/17

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषय :वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 की संस्तुति के आधार पर जिला पंचायतों के विभिन्न श्रेणी के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-38/2016/वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016, दिनांक 11-08-2016 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-63/2016-वे0आ0-2-2644/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा वेतन समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।

अत: वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 को प्रदेश के जिला पंचायतों की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) जिला पंचायतों के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में दी गई व्यवस्थानुसार होगा। इस सम्बन्ध में प्रारूप संलग्न है। (संलग्नक-2)

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतनमान में निर्धारित वेतन दिनांक 01-01-16 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं महगांई भत्ते की संशोधित दरें राज्य कर्मचारियों के समान देय होंगी।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रारूप संलग्न है। (संलग्नक-1)

(4) शासनादेश सं0-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतनवृद्धि की व्यवस्था लागू की जाएगी।

(5) जिला पंचायतों के विभिन्न् श्रेणी के सेवारत/दिनांक 01-01-2016 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ए0सी0पी0 के रूप में निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला लेवल राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा।

(6) जिला पंचायतों के विभिन्न श्रेणी के सेवारत/दिनांक 01-01-2016 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन तथा मंहगाई भत्ता का दिनांक 01-01-2017 से नगद भुगतान किया जायेगा। "दिनांक 01-01-16 से दिनांक 31-12-2016 तक देय अवशेष का भुगतान 02 समान किश्तों में राजकीय कार्मिकों के समान किया जायेगा। अवशेष वेतन पर निहित व्यय भार जिला पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और राज्य सरकार से इस संबंध में अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।"

(7) जिला पचांयतों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत का होगा।

(8) राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों को संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अन्य श्रोतों से हुई आय की धनराशि से संबंधित जिला पंचायत अपनी अन्य विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने श्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरांत अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

--3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त से आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। जिला पंचायत को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(10) इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के जिला पंचायत में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा।

(11) इस शासनादेश के संलग्नक-1 के अनुसार वेतनबैण्ड 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 के सभी पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड, लेवल 10 अनुमन्य कराया जाय। परन्तु वैयक्ति वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन 5400 के ऐसे पद धारकों जिनके लिए इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो, के लिए लेवल 9 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में रखा जायेगा।

(12) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा। किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1073/दस-2017, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

--4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 7/2017/2388(1)/33-2-2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3) मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
(4) उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(9) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
(10) पंचायती राज अनुभाग-1/3
(13) अधिष्ठान पुनरीक्षिण ब्यूरो।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स

संलग्नक -1

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15600-39100			37400-67000	
5400	**6600**	**7600**	**8700**	**8900**
10	**11**	**12**	**13**	**13 क**
56100	67700	78800	123100	131100
57800	69700	81200	126800	135000
59500	71800	83600	130600	139100
61300	74000	86100	134500	143300
63100	76200	88700	138500	147600
65000	78500	91400	142700	152000
67000	80900	94100	147000	156600
69000	83300	96900	151400	161300
71100	85800	99800	155900	166100
73200	88400	102800	160600	171100
75400	91100	105900	165400	176200
77700	93800	109100	170400	181500
80000	96600	112400	175500	186900
82400	99500	115800	180800	192500
84900	102500	119300	186200	198300
87400	105600	122900	191800	204200
90000	108800	126600	197600	210300
92700	121100	130400	203500	216600
95500	115500	134300	209600	
98400	119000	138300	215900	
101400	122600	142400		
104400	126300	146700		
107500	130100	151100		
110700	134000	155600		
114000	138000	160300		
117400	142100	165100		
120900	146400	170100		
124500	150800	175200		
128200	155300	180500		
132000	160000	185900		
136000	164800	191500		
140100	169700	197200		
144300	174800	203100		
148600	180000	209200		
153100	185400			
157700	191000			
162400	196700			
167300	202600			
172300	208700			
177500				

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

विकल्प का प्रारूप

*1 मैं, ----------01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूँ/ करती हूँ।

*2 मैं, ----------अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर ---------- रूपये हो जाए/मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/----------के पद पर मेरी प्रोन्नित/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन----------

हस्ताक्षर----------

नाम----------

पदनाम----------

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं----------

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-3

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर----------

नाम----------

पदनाम----------

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।